efUnj U;kl Jh Tokykth] rglhy Tokykth] ftyk dkxMk] fgekpy ins'k ds y[kkvks dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu A

vof/k 01-01-2008 ls 31-12-2008

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu %&

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के प्रषासन द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मलित अनिर्णीत पैरों पर वांछित कार्यवाही नहीं की गई है। फलस्वरूप अत्यन्त गम्भीर प्रवृति जैसे कि दुर्विनियोजन, दुरूपयोग एवं सम्भावित गबन इत्यादि के पैरों का भी कई वर्ष बीत जाने पर भी समायोजन/निपटारा सम्भव नहीं हो सका। अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई अत्यन्त गम्भीर आपत्तियों पर मन्दिर न्यास प्रषासन द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न करना जहां प्रषासन की कार्य प्रणाली पर प्रष्न चिन्ह लगाता है वही दोषी कर्मचारियों जिनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित थी व लाखों रुपये की अधिक व गलत भुगतान, गबन, दुरूपयोग, दुर्विनियोजन से सम्बन्धित वसूलियां अपेक्षित थी, के मनोबल को बार–बार जानबूझ कर अनियमितताएं दोहराने हेतु प्रेरित करता है। अतः प्रधान सचिव, भाषा एंव संस्कृति विभाग/मुख्यायुक्त मन्दिर के विषेष ध्यानार्थ यह प्रकरण इस आशय के साथ लाया जाता है कि वह अपने अधीन सभी आयुक्तों, सहायक आयुक्तों एवं मन्दिर अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अत्यन्त गम्भीर प्रवृति के अर्न्तगत पैरों पर वांछित कार्यवाही समयबद्ध सीमा के अर्न्तगत करने हेतु आवष्यक निर्देश देने की अनुकम्पा करें ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े अनुच्छेदों का समायोजन सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे शामिल अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

¼d½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 7-3-1987 ls 31-12-95 %&

1	पैरा 3(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(क)1	अतिरिक्त सचिव(वित्त) एवम् परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 2.2.06 व 3.2.06 द्वारा निरस्त किया गया है।
5	पैरा 5(क)2	
6	पैरा 5(क)3	अनिर्णीत
7	पैरा 5(क)4(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(क)(5)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(क)(6)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(क)(17)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(ख)3	अनिर्णीत
12	पैरा 5(ग)(1)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(ग)2	अनिर्णीत
14	पैरा 5(ग)5	अनिर्णीत

15	पैरा 5(ग)6	अनिर्णीत
16	पैरा 5(घ)1	अनिर्णीत
17	पैरा 5(घ)2	अनिर्णीत
18	पैरा 5(घ)5	अनिर्णीत
19	पैरा 5(घ)6	अनिर्णीत
20	पैरा 5(ङ)2	अनिर्णीत
21	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
22	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत
23	पैरा 5(ज) 3 से 6	अनिर्णीत
24	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत
25	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
26	पैरा 5(ढ)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(ण)	अनिर्णीत
28	पैरा 6(क)	आंषिक रूप से निर्णीत (3 ग्राम सोना व 232 ग्रा0 चांदी का इन्द्राज शेष)
29	पैरा 6(ग से घ)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(ज से झ)	अनिर्णीत
31	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
32	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
33	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
34	पैरा 9(च)	अनिर्णीत
35	पैरा 9(छ)	अनिर्णीत
36	पैरा 9(प)	अनिर्णीत
37	पैरा 9(ब से भ)	अनिर्णीत
38	पैरा 9(य से र)	अनिर्णीत
39	पैरा 9(ष से ह)	अनिर्णीत
40	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
41	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
42	पैरा 11(क से ख)	अनिर्णीत
43	पैरा 11(च)	अनिर्णीत
44	पैरा 11(छ)(2)	अनिर्णीत
45	पैरा 11(ज)1,2	अनिर्णीत
46	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत।
47	पैरा 11(द से ध)	अनिर्णीत
48	पैरा 11(ल)	अनिर्णीत
49	पैरा 11(श)	अनिर्णीत
50	पैरा 11(ह)	अनिर्णीत
51	पैरा 11(क्ष)	अनिर्णीत
52	पैरा 11(क्ष)(प,फ)	अनिर्णीत
53	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
54	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
55	पैरा 12(ग से ङ)	अनिर्णीत
56	पैरा 12(छ से फ)	अनिर्णीत
57	पैरा 13(क,ख,ङ तथा छ से ञ)	अनिर्णीत
58	पैरा 14(क से घ)	अनिर्णीत
59	पैरा 15(क से च)	अनिर्णीत
60	पैरा 16(क से ग)	अनिर्णीत

61	पैरा 16(ङ से य)	अनिर्णीत

¼[k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 1-1-1999 ls 31-12-1999 ½&

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11(क)	आंषिक निर्णीत
4	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 19	अनिर्णीत
9	पैरा 20	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत

¼x½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 1-1-2000 ls 31-2-2000 ½&

1	पैरा 4(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(5)	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 19(क,ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 19(घ)	अनिर्णीत
11	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत
12	पैरा 20	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 22	अनिर्णीत
15	पैरा 23	अनिर्णीत
16	पैरा 24	अनिर्णीत
17	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 26	अनिर्णीत
19	पैरा 27	अनिर्णीत
20	पैरा 29(क से ग व ङ)	अनिर्णीत

¼?k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 1-1-2001 ls 31-12-2001 ½&

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(1)	आंषिक रूप से निर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत

7	पैरा 20	अनिर्णीत
8	पैरा 21	अनिर्णीत
9	पैरा 22	अनिर्णीत
10	पैरा 24	अनिर्णीत
11	पैरा 25	अनिर्णीत
12	पैरा 27	अनिर्णीत
13	पैरा 28	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत
16	पैरा 31(क से ग)	अनिर्णीत
17	पैरा 32	अनिर्णीत
18	पैरा 33	अनिर्णीत

¼3½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 1-1-02 l 31-12-02 ½&

1	पैरा 4(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(4)	निर्णीत (प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरण की सत्यापना उपरान्त)
4	पैरा 5	अनिर्णीत
5	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(घ)(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(घ)(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 7(च)(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(छ)(2)	आंषिक निर्णीत
15	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ट)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(ठ)(2)	अनिर्णीत
19	पैरा 9	अनिर्णीत
20	पैरा 10	अनिर्णीत
21	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
22	पैरा 10(ख)1	अनिर्णीत
23	पैरा 10(ख)2	अनिर्णीत
24	पैरा 10(ख)3	अनिर्णीत
25	पैरा 10(ख)4	अनिर्णीत
26	पैरा 10(ख)(4)(क)	अनिर्णीत
27	पैरा 10(ख)(4)(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 10(ख)(4)(ग)	अनिर्णीत
29	पैरा 10(ख)5	अनिर्णीत
30	पैरा 10(ख)(5)(क)	अनिर्णीत
31	पैरा 10(ख)(5)(ख)	अनिर्णीत

32	पैरा 10(ख)(5)(ग)	अनिर्णीत
33	पैरा 12	अनिर्णीत
34	पैरा 14	अनिर्णीत
35	पैरा 15(क)	निर्णीत
36	पैरा 15(ख)	निर्णीत
37	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
38	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत
39	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
40	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 16(ग)	अनिर्णीत
42	पैरा 16(घ)	अनिर्णीत
43	पैरा 16(ङ)	अनिर्णीत
44	पैरा 16(च)	अनिर्णीत
45	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
46	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
47	पैरा 18	निर्णीत(स्टॉक प्रविष्टि व उपयोग के सत्यापनोपरान्त)
48	पैरा 19(क)	निर्णीत(रसीद संख्या 3104 दिनांक 15.7.06,8103 व 8104 दिनांक 13.2.06 व 15.2.06 के अर्न्तगत सामान की वसूली के सत्यापनोपरान्त)
49	पैरा 19(ख)	निर्णीत(सामान जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख व सामान के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख के सत्यापनोंपरान्त)
50	पैरा 19(च)	अनिर्णीत
51	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
52	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
53	पैरा 20(ग)	अनिर्णीत
54	पैरा 20(प)	अनिर्णीत
55	पैरा 21	अनिर्णीत
56	पैरा 22	निर्णीत(अग्रिम की वसूली के सत्यापनोपरान्त)
57	पैरा 23	निर्णीत(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के आदेषों व स्वीकृति के सत्यापना उपरान्त)
58	पैरा 24	अनिर्णीत
59	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
60	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
61	पैरा 26(ग)	अनिर्णीत
62	पैरा 26(ङ)	अनिर्णीत
63	पैरा 27	अनिर्णीत

¼p½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 1-1-03 l 31-12--04 ½&

1	पैरा 4(क)	निर्णीत(सावधि जमा राषि व ब्याज की रोकड़ बही में प्रविष्टि के सत्यापनोपरान्त)
2	पैरा 4(ख)	निर्णीत(10 रु0 जमा करवाने की पुष्टि की)
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 9(क)	अनिर्णीत

6	पैरा 12	निर्णीत(अनुपालना के सत्यापनोपरान्त)
7	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(6)	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
13	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 16(ग)	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 17(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 18	अनिर्णीत
18	पैरा 19	अनिर्णीत
19	पैरा 20	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 23(क)	अनिर्णीत
22	पैरा 24(1)	अनिर्णीत
23	पैरा 24(2)	अनिर्णीत
24	पैरा 25	अनिर्णीत
25	पैरा 25(क)(1)	अनिर्णीत
26	पैरा 25(क)(2)	अनिर्णीत
27	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 25(घ)	अनिर्णीत
29	पैरा 26	अनिर्णीत
30	पैरा 27	अनिर्णीत
31	पैरा 28	अनिर्णीत
32	पैरा 31	अनिर्णीत
33	पैरा 33	निर्णीत (मूल प्रतिवेदन मे पैरा नहीं है)
34	पैरा 33(क)	निर्णीत (रसीद संख्या 8751 दिनांक 16.3.07 के अर्न्तगत सामान की वसूली के सत्यापनोपरान्त)
35	पैरा 33(ख)	निर्णीत (रसीद संख्या 8752 दिनांक 16.3.07 के अर्न्तगत सामान की वसूली के सत्यापनोपरान्त)
36	पैरा 33(ग)	निर्णीत (रसीद संख्या 8903,8913,8917,8927 के अर्न्तगत सामान की वसूली के सत्यापनोपरान्त)
37	पैरा 33(घ)	निर्णीत (स्टॉक रजिस्टर व उपभोग के सत्यापनोपरान्त)
38	पैरा 33(ड.)	निर्णीत (फुटकर क्रय के स्टॉक रजिस्टर व उपभोग के सत्यापनोपरान्त)
39	पैरा 33(च)	निर्णीत (षेष बचे सामान के उपभोग से सम्बन्धित अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
40	पैरा 33(छ)1	निर्णीत (जारी सामान के प्राप्तकर्ता से सम्बन्धित अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
41	पैरा 33(छ)2	अनिर्णीत
42	पैरा 39	अनिर्णीत
43	पैरा 40(3)	अनिर्णीत
44	पैरा 41(2)	अनिर्णीत
45	पैरा 42	अनिर्णीत
46	पैरा 44	निर्णीत (प्रतिभूति रजिस्टर के सत्यापनोपरान्त)

47	पैरा 46	अनिर्णीत
48	पैरा 48(1)	निर्णीत (वाहन मुरम्मत बिल मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित)
49	पैरा 48(2)	निर्णीत (वाहन के प्रयोग व व्यय में गत वर्षों की तुलना में कमी व निर्धारित औसत के सत्यापनोपरान्त)
50	पैरा 48(3)	अनिर्णीत
51	पैरा 49(1)	निर्णीत (पुराने टायरों से सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
52	पैरा 49(2)	अनिर्णीत
53	पैरा 51	अनिर्णीत
54	पैरा 52	अनिर्णीत
55	पैरा 53	अनिर्णीत
56	पैरा 54	अनिर्णीत
57	पैरा 56(ख)	अनिर्णीत
58	पैरा 57	अनिर्णीत
59	पैरा 58	अनिर्णीत
60	पैरा 59(1)	अनिर्णीत
61	पैरा 59(2)	अनिर्णीत
62	पैरा 59(3)	अनिर्णीत
63	पैरा 59(4)	अनिर्णीत
64	पैरा 59(5)	अनिर्णीत
65	पैरा 59(6)	अनिर्णीत

¼N½ vid{k.k ,o fujh{k.k ifrounu vof/k 1-1-05 l 31-12--05 ½&

1	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत

¼t½ vid{k.k ,o fujh{k.k ifrounu vof/k 1-1-06 l 31-12--07 ½&

1	पैरा 3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क जमा कर दिया गया है।)
2	पैरा 4	निर्णीत (सावधि जमा राशि व ब्याज की रोकड़ बही में प्रविष्टि के सत्यापनोपरान्त)
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13 भाग एक (1 से 6)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 भाग दो (1 से 7)	अनिर्णीत

8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अंषिक निर्णीत (सहायक आयुक्त मन्दिर एवं एस0डी0एम देहरा द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर अंजू शर्मा (व0स0)को भुगतान नियमित)
10	पैरा 17	अंषिक निर्णीत (सहायक आयुक्त मन्दिर एवं एस0डी0एम देहरा द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर अंजू शर्मा (व0स0)को भुगतान नियमित)
11	पैरा 18 (क से त)	अनिर्णीत
12	पैरा 19 (1 से 6)	अनिर्णीत
13	पैरा 20 (1 से 3)	अनिर्णीत
14	पैरा 21	अनिर्णीत
15	पैरा 22	अनिर्णीत
16	पैरा 23	अनिर्णीत
17	पैरा 24	अनिर्णीत
18	पैरा 25	अनिर्णीत
19	पैरा 26	अनिर्णीत
20	पैरा 27	अनिर्णीत
21	पैरा 28	अनिर्णीत
22	पैरा 29	अनिर्णीत
23	पैरा 30 से 32	(मूल प्रतिवेदन में उक्त पैरे उल्लेखित नहीं अतः इन्हें समाप्त समझा जाए।)
24	पैरा 33	अनिर्णीत
25	पैरा 34	अनिर्णीत
26	पैरा 35	अनिर्णीत
27	पैरा 36	अनिर्णीत
28	पैरा 37	अनिर्णीत
29	पैरा 38	अनिर्णीत
30	पैरा 39	अनिर्णीत
31	पैरा 40	अनिर्णीत
32	पैरा 41	अनिर्णीत
33	पैरा 42 (1) व (2)	अनिर्णीत
34	पैरा 43	निर्णीत (शिक्षा निदेषक की अधिसूचना के सत्यापनोपरान्त (No-EDN-11(21)-1/2002(REC)5-8-04)
35	पैरा 44 (1) से (3)	अनिर्णीत
36	पैरा 45	अनिर्णीत
37	पैरा 46	अनिर्णीत
38	पैरा 47	अनिर्णीत
39	पैरा 48	अनिर्णीत
40	पैरा 49	अनिर्णीत
41	पैरा 50	अनिर्णीत
42	पैरा 51	अनिर्णीत

Hkkx&nks

2- orZeku vkd{k.k %&

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अवधि जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 के लेखों का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री सुनील कुमार, आर्टीकल असिसटैंट द्वारा दिनांक 8.02.2010 से 12.03.2010 के दौरान ज्वालामुखी में किया गया, जिसके परिणाम आगामी पैरों में शामिल किए गए हैं। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

vk; gsrq p;fur ekg 4@08

0;; gsrq p;fur ekg 10@08

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के नियन्त्रण अधिकारी/मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सुचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने हेतु स्थानीय निधि लेखा विभाग किसी भी प्रकार से उतरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु उपरोक्त चयनित मासों तक ही सीमित हैं।

3- <u>vads{k.k 'kqYd %&</u>

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर संलग्न परिशिष्ट 'ग' के अनुसार मु0 28,600/–रुपये बनता है जिसे राजकीय कोष में अविलम्ब जमा करवाने हेतु इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश षिमला–9 के नाम भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58 दिनांक 12.3.10 द्वारा मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4-1 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी का वर्ष 2008 का आय व व्यय का वितीय विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"kZ 2008			
1 आरम्भिक शेष 2 वर्ष के दौरान (क+ख+ग) प्राप्त आय (क) चढ़ावे के रूप में (ख) ब्याज व सावधिक ब्याज (ग) अन्य आय	3,32,76,942.82 3,29,83,810.00 81,21,465.14 11,04,781.00	¼1½ वर्ष के दौरान व्यय	2,90,53,463.14
izkIr vk;	4]22]10]056-14		
(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006 व	25,93,488.00	¼2½ अन्तिम	4,90,27,023.82

2007 के वितीय स्थिति के पैरा संख्या 4(2) के उपषीर्ष ''अन्तर व अन्तर के कारण'' के अर्न्तगत वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 का दर्षाया गया अन्तर राशि मु0 25,93,488 रु0 जिसे रोकड़ बही में एफ0डी0आर के अर्न्तगत इन्द्राज कर लिया गया है।		शेष	
d|y ;kx	7]80]80]486-96	d|y ;kx	7]80]80]486-96

4-2 foÙkh; fLFkfr %&

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की वर्ष 2008 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

o"k 2008

आरम्भिक षेष	3,32,76,942.82
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	4,48,03,544.14
कुल योग	7,80,80,486.96
वर्ष के दौरान किए गए व्यय की कुल राशि	2,90,53,463.14
अन्तिम षेष	4,90,27,023.82

4-3¼i½ vfUre'k"k dk fooj.k %& रोकड बही के अनुसार दिनांक 31.12.08 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

d0 l0	cd dk uke	cd [kkrk l0	tek jkf'k :0
1	पी0एन0बी0 ज्वालाजी	116332	16,56,180.64
2	–यथोपरि–	19947	2,82,570.28
3	–यथोपरि–	16388	8,99,389.90
			28]38]140-82
4	सी0बी0आई0	900	16,19,491.00
5	एस.बी.आई.	55628	2,240.00
6	एच0डी0एफ0सी	06051450000059	6,820.00
		d|y ;kx	44]66]691-82

4-3½ii½ lkof/k tek ;ktuk d vUrxr fnukd 31-12-08 rd tek jkf'k dk fooj.k fuEu idkj l g :–

d0 l0	cd dk uke	cd [kkrk l0	fuof'kr jkf'k :0
1	सी0बी0आई0	24 / 57	30,00,000.00
2	पी0एन0बी0	071700	5,40,000.00
3	पी0एन0बी0	001700	20,00,000.00
4	के0सी0सी0बैंक	546200	18,98,788.00
5	पी0एन0बी0	071700	3,41,688.00
6	पी0एन0बी0	071700	4,02,225.00
7	पी0एन0बी0	071700	4,20,295.00
8	सी0बी0आई0	24 / 114	20,00,000.00
9	पी0एन0बी0	071700	50,00,000.00
10	पी0एन0बी0	071700	5,51,036
11	एस0बी0आई0	–	25,00,000.00
12	पी0एन0बी0	071700	50,00,000.00
13	एस0बी0आई0	–	7,13,909
14	सी0बी0आई0	24 / 56	25,00,000.00
15	सी0बी0आई0	24 / 64	35,00,000.00
16	सी0बी0आई0	24 / 308	35,00,000
17	पी0एन0बी0	3091900	25,00,000.00
18	सी0बी0आई0	24 / 677	25,00,000.00
19	पी0एन0बी0	102286	4,79,466.00
20	पी0एन0बी0	071700	50,00,000.00
		dqy ;kx	4]43]47]407-00
	कुल जमा राशि (क)+(ख)	46]66]691-82 $	4]43]47]407-00
	dqy ;kx	4]88]14]098-82	
	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष		4]90]27]023-82
	अन्तर		2]12]925

vUrj dk dkj.k %&

राशि मु0 2,12,925 रुपये का अन्तर रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.12.08 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में अन्तर (अधिक व कम) के कारण है जिस का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरण सहित निम्न प्रकार से है :–

Ø0 l0	cSad [kkrk l0	cSad dk uke	jksdM+ cgh ds vuqlkj vfUre 'ks"k	cSad ikl cqd ds vuqlkj 'ks"k	vUrj
1	116332	पी0एन0बी0			
2	199478	पी0एन0बी0			
3	163880	पी0एन0बी0			
			3240344-82	2838140-82	¼$½ 402204
4	900	सी0बी0आई0	1430212	1619491	(–) 189279
5	55628	एस0बी0आई0	2240	2240	–
6	06051450000059	एच0डी0एफ0सी	6820	6820	–
		cSad lek/kku fooj.k		dqy ;ksx	212925

¼i½ रोकड़ बही के अनुसार पी0एन0बी0 का शेष = 3240344.82

(–) घटाव :– दिनांक 31.12.08 को बैंक मे जमा करवाई गई राशि जिसका क्रैडिट 31.12.08 तक नहीं मिला =575224.00

(+) जमा :– चैक जो 31.12.08 तक जारी किए लेकिन 31.12.08 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए हैं। (परिशिष्ट 'क') =173020.00

बैंक पास बुक के अनुसार शेष = 2828140.82

¼ii½ रोकड़ बही के अनुसार सी0बी0आई का शेष = 1430212.00

(+) जमा :– चैक जो 31.12.08 तक जारी किए लेकिन 31.12.08 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए हैं। (परिशिष्ट 'ख') = 189279.00

बैंक पास बुक के अनुसार शेष = 1619491.00

4-4 forh; fooj.k %&

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में वर्ष 2006,2007, व 2008 की आय व व्यय का वितीय विवरण निम्न प्रकार से है।

o"k	vk;	of) ;k deh dh ifr'krrk	O;;	of) ;k deh dh ifr'krrk
2005	28178671.26		25298330.00	
2006	33088909.80	(+) 17.42% 4910238-54	26728306.00	(+) 5.65% 1429976-00
2007	36025079.80	(+) 8.87% 2936170-80	24405567.00	(-) 8.69% 2322739-00
2008	42210056.14	(+) 17.16% 6184976-34	29053463.14	(+) 19.04% 4647896-14

5¼d½ o"k 2008 e lksu dh fLFkfr %&

	fd0	xk0	fe0xk0
आरम्भिक शेष 1.1.08	27	633	799
वर्ष 2008 के दौरान प्राप्ति	01	976	000
कुल योग	29	609	799
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सोने की मात्रा	29	216	799
अन्तर	00	393	000

vUrj dk dkj.k %&

वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6(ख) में अन्तर का कारण दर्षाया गया है जिसका मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। अतः इसके निपटारे हेतु अब त्वरित उचित कार्यवाही की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

¼[k½ o"k 2008 e pknh dh fLFkfr %&

	fd0	xk0	fe0xk0
आरम्भिक शेष 1.1.08	1098	061	190
वर्ष 2008 के दौरान प्राप्त चांदी	060	088	800
कुल योग	1158	149	990
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार चांदी की मात्रा	1156	103	340
अन्तर	0002	046	650

vUrj dk dkj.k %&

दिनांक 31.8.03 को चांदी पिधलाने के कारण खोट के रूप में 2 कि0 046 ग्रा0 व 650 मि0ग्रा0 दर्षाई गई चांदी को स्टॉक से खारिज करने के कारण अन्तर है इस सन्दर्भ में उठाई गई आपत्ति का अविलम्ब निपटारा किया जाए।

6 LFkkiuk O;; %&

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामु,खी में एक अधिकारी व दो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास में कुल 97 कर्मचारी हैं जिनमें से 78 कर्मचारी नियमित वेतन, 15 नियत वेतन, 3 कर्मचारी दैनिक वेतन, एक मस्टररोल पर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त मन्दिर में 15 गृह रक्षक भी कार्यरत हैं। वर्ष में लगने वाले 3 नवरात्रों के दौरान 60 सफाई कर्मचारी, 60 गृह रक्षक व 45 अस्थाई कर्मचारी भी अलग से मेलों के दौरान नियुक्त किए जाते हैं। उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों को 2008 में वेतन के रूप में 98,41,726 रुपये खर्च किए हैं जो कि 2008 के कुल व्यय का 33.87% व आय का 23.31% हैं। उपरोक्त उल्लेखित स्थापना व्यय मे प्रतिषतता में वर्ष के दौरान लगने वाले नवरात्रों के दौरान 60 सफाई कर्मचारी, 60 गृह रक्षक व 45 अस्थाई कर्मचारियों का वेतन शामिल नहीं है।

7 ctV esa izko/kku ds cxSj fd, x, O;; jkf'k e0 1]96]229 #i;s ds ckjs :–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2008 में जिन शीर्षों के अर्न्तगत व्यय करने को कोई भी प्रावधान बजट मे नहीं किया गया था उन शीर्षों पर भी मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2008 में मु0 1,96,229 रुपये खर्च कर दिए गए हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं इस व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिष्चित की जाए व भविष्य में बजट के प्रावधान बिना अनियमित रूप से व्यय किये जाने बारे निष्चित तौर पर परिहार किया जाए।

Ø0 la0	'kh"kZ dk uke	o"kZ 2008 esa O;;
1	वाटर कूलर रिपेयर	62,898.00
2	सीवरेज बिल	194.00
3	सीवरेज कनैक्षन	19,044.00
4	शौचालय की सफाई	5,630.00
5	कोट केस	20,627.00

6	मुआवजा बिल	94.00
7	पर्यटक सुचना केन्द्र	3,493.00
8	यात्री निवास संचालन	24,121.00
9	शौचालयों पर	51,369.00
10	वाहन अवरोधक	8,759.00
	d|y ;kx	1]96]229-00

अतः उपरोक्त अनियमित व्यय को नियमित करवाने हेतु वांछित कार्यवाही सुनिष्चित की जाए व भविष्य मे बजट के प्रावधानों के अनुरूप ही व्यय किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

8 jkf'k e0 4]96]553-00 #i;s o"kZ 2008 es Lohd`r 0;; ¼ctV½ ls vf/kd djus ckjs %&

निम्नलिखित उपषीर्षों/षीर्षों के अर्न्तगत किए गए बजट प्रावधान से वर्ष 2008 में अधिक व्यय किया गया है जिसे नियमित करवाने हेतु वांछित कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए व बजट में किए गए प्रावधान के अनुरूप ही व्यय करना सुनिष्चित किया जाए।

Ø0 l0	'kh"kZ dk uke	Lohd`r ctV	okLrfod 0;;	vf/kd 0;;
1	वारीदार भुगतान	1,20,00,000.00	1,23,90,676.00	3,90,676.00
2	सरकारी कर्मचारी वेतन	6,50,000.00	7,30,412.00	80,412.00
3	गृह रक्षक वेतन	7,00,000.00	7,20,565.00	20,565.00
4	कर्मचारी ऋण	4,00,000.00	4,04,900.00	4,900.00
			d|y ;kx	4]96]553-00

9 jkf'k e0 37]89]555 #i;s o"kZ 2008 ds ckjhnkjksa dks xyr ,oa vf/kd Hkqxrku %&

आयुक्त मन्दिर के कार्यालय पत्र संख्या 5235/पी0एफ0आर0/दिनांक 31.8.1988 जिसके अर्न्तगत बारीदारों को मुख्य मन्दिर व शैया भवन की आय मे से पूजा अर्चना व मन्दिर रख–रखाव के व्यय (प्रथम प्रभार) को घटाने के बाद शेष बची आय का 50 प्रतिषत हिस्सा ही दिया जाना अपेक्षित था। मन्दिर आयुक्त के स्पष्ट आदेषों के बावजूद भी मन्दिर न्यास मनमाने तरीके से मुख्य मन्दिर की आय में से 20 प्रतिषत पूजा अर्चना का व्यय घटाने उपरान्त शेष बची आय का 50 प्रतिषत हिस्सा बारीदारों को दिया जा रहा है। और यह

हिस्सा दिन–प्रतिदिन की आय में से दिया जा रहा है जबकि उपरोक्त निर्णय अनुसार बारीदारों को उनके हिस्से का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाना आपेक्षित था। जहां एक तरफ गत 15 वर्षों में पूजा अर्चना एवं मन्दिर रख–रखाव व्यय की वास्तविक लागत कम किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में करोड़ों रुपयों का अधिक भुगतान किया जा चुका है वहीं दूसरी तरफ बारीदारों को त्रैमासिक आधार पर भुगतान करने से मन्दिर को ब्याज स्वरूप उपार्जित होने वाली लाखों रुपये की आय की भी हानि हुई है। वर्ष 2008 में ही पूजा अर्चना व मन्दिर रख–रखाव व्यय की वास्तविक कटौती किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप मे 37,89,555/–रुपये का गलत एवं अधिक भुगतान हुआ है जिसकी गणना निम्न प्रकार से बनती है :–

1	वर्ष 2008 के दौरान मुख्य मन्दिर की आय			2,90,03,935.00
2	वर्ष 2008 के दौरान शैया भवन की आय			13,23,946.00
3	वर्ष 2008 के दौरान शैया पूजा की आय			1,71,682.00
4	वर्ष 2008 के दौरान कटे–फटे नोट की आय			1,03,220.00
5	dy ;kx			3]06]02]783-00
6	घटाव :– पूजा अर्चना एवं मन्दिर रख–रखाव व्यय वर्ष 2008 (वास्तविक)			
	(i)	पूजा अर्चना	2,06,511.00	
	(ii)	लंगर संचालन	17,67,882.00	
	(iii)	मन्दिर कर्मचारी वेतन	83,48,949.00	
	(iv)	सरकारी कर्मचारी वेतन	7,30,412.00	
	(v)	गृह रक्षक वेतन	7,20,565.00	
	(vi)	औषधालय व्यय	1,11,302.00	
	(vii)	डिग्री कॉलेज व्यय	15,00,000.00	
	(viii)	संस्कृत कॉलेज व्यय	14,920.00	
		dy ;kx		1]34]00]541-00
7		शेष शुद्ध आय जिसका 50 प्रतिषत हिस्सा बारीदारों को दिया जाना आपेक्षित था (5–6)		1,72,02,242.00

8	बारीदारों को दिया गया हिस्सा	1,23,90,676.00
9	नियमानुसार जो देय था	86,01,121.00
10	अधिक एवं गलत भुगतान	37,89,555.00

यद्यपि इस मामले को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे भी उठाया गया तथापि मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त उल्लेखित आयुक्त मन्दिर के निर्णय की अनुपालना न करना मन्दिर न्यास की कार्यप्रणाली पर प्रष्न चिन्ह लगाता है अतः यह मामला हि0प्र0 सरकार व मुख्य आयुक्त मन्दिर के विषेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित आयुक्त मन्दिर के निर्णय को तुरन्त प्रभाव से अमल मे लाए जाने व वर्ष 2008 में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली/समायोजन हेतु मन्दिर न्यास को उचित निर्देश देने की कृपा करें व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

10 o"kZ 2008 dks nkSjku izksRlkgu jkf'k ds :i esa U;kl deZpkfj;ksa dks vf/kd ,oa xyr Hkqxrku jkf'k e0 64]052@&#i;s ckjs%&

मन्दिर न्यास कर्मचारियों को वाऊचर संख्या 332 दिनांक 2.9.08 द्वारा 2,93,388.00 रुपये प्रोत्साहन राशि मन्दिर न्यास की आय मे गत वर्ष की तुलना में हुई बढ़ौतरी का (10 प्रतिषत) के रूप में दिए गए हैं जो कि आयुक्त मन्दिर द्वारा स्वीकृत किए गए हैं उक्त वाऊचर की जांच करने पर पाया गया कि माननीय आयुक्त एवं जिलाधीश कांगडा द्वारा उक्त उल्लेखित प्रोत्साहन की राशि की गणना का आधार मन्दिर न्यास की आय मे गत वर्षों की तुलना में हुई वृद्धि को माना है जिसमें सावधि जमा योजना का ब्याज, अग्रिमों की वसूली व आडिट द्वारा निकाली गई गलत एवं अनियमित भुगतान की वसूली गोल्ड बॉण्ड पर अर्जित ब्याज की राशि भी शामिल कर ली गई है जो कि अनियमित है। वास्तव में आय में हुई कुल वृद्धि उपरोक्त उल्लेखित मदों की राशि को कम करने के उपरान्त ही प्रोत्साहन की राशि की गणना एवं तदोपरान्त कर्मचारियेां को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त प्रकरण मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारीगणके समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि भविष्य में शुद्ध आय की गणना उपरान्त (जैसे कि इस पैरे में उल्लेखित है) ही प्रोत्साहन राशि दी जानी सुनिष्चित की जाये व इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में प्रोत्साहन राशि के रूप में किए जा चुके अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने के उपरान्त मन्दिर न्यास कोष में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अधिक एवं गलत प्रोत्साहन राशि की गणना निम्न प्रकार से है।

Ø0 l0	fooj.k	o"kZ 2008

1	वर्ष 2008 में दी गई प्रोत्साहन राशि	2,93,388.00
2	वर्ष 2008 में वास्तव मे देय प्रोत्साहन राशि	2,29,336.00
3	अधिक एवं गलत भुगतान	64,052.00

mDr Øe l[;k 2 d vulkj n; ikRlkgu jkf'k dh x.kuk %&

Ø0 l0		fooj.k	o"k 2006	o"k 2007
1		कुल आय	3,30,88,909.00	3,60,25,079.00
	(i)	(–) बैंक ब्याज	2,54,661.00	13,62,802.00
	(ii)	(–) सावधि ब्याज	4,59,725.00	
	(iii)	(–) गोल्ड बॉण्ड ब्याज	4,79,466.00	5,51,036.00
	(iv)	(–) अग्रिम वसूली	29,478.00	
	(v)	(–) आडिट वसूली	47,705.00	
2		**(i)** l **(v)** dk ;kx	12]71]035-00	19]13]838-00
3		आय	3,18,17,874.00	3,41,11,241.00
4		गत वर्ष की तुलना मे आय में वृद्धि	46,17,560.00	22,93,367.00
5		आय मे शुद्ध वृद्धि	31,87,584.00	22,93,367.00
6		देय 10 प्रतिषत प्रोत्साहन राशि		2,29,336

11 uojk=k d nkjku j[k x, vfrfjDr xg j{kdk dk vf/kd ,o xyr Hkxrku jkf'k e0 39000@&#i; %&

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 30.9.08 से 8.10.08 तक के नवरात्रों के दौरान रखे गए अतिरिक्त गृह रक्षकों को राशि मु0 39000/–रुपये का गलत एवं अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वाऊचर संख्या 377 दिनांक 8.10.08 के अर्न्तगत 50 गृह रक्षकों को 12 दिन हेतु 78,228 रुपये का भुगतान किया गया व 21000 रुपये का भुगतान किराये के रूप में सोलन से ज्वालामुखी व वापिसी के रूप में किया गया व अन्य 50 गृह रक्षकों को 10 दिन हेतु 65,195 रुपये का भुगतान व 5000 रुपये किराये के रूप में धनोटू से ज्वालामुखी व वापिसी हेतु भुगतान किया गया है उक्त वाऊचर की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर अधिकारी द्वारा 10 दिन की बजाय 12 दिन का भुगतान व बस किराये का भुगतान आदेषिक गृह रक्षा वाहिनी धर्मषाला के पत्र संख्या 3735–39 दिनांक 3.10.08 के अर्न्तगत किया गया दर्षाया है उक्त पत्र की जांच करने पर पाया गया कि यह पत्र आदेषिक गृह रक्षा वाहिनी धर्मषाला

द्वारा आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगडा को प्रेषित है में आयुक्त महोदय से यह अनुरोध किया गया है कि दिनांक 29.9.08 व 10.10.08 के दैनिक भत्ते का भुगतान गृह रक्षको को यात्रा दिवस के रूप मे करने की अनुकम्पा करें। आयुक्त मन्दिर द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ मे मन्दिर अधिकारी को कोई भी आदेश पारित नहीं किए हैं फलस्वरूप स्वतः स्पष्ट है कि मन्दिर अधिकारी द्वारा दिनांक 29.9.08 व 10.10.08 के दैनिकी भत्ते की राशि मु0 13000/–रुपये भुगतान यात्रा दिवस के रूप मे स्वेच्छा से बिना किसी आदेश से किया है क्योंकि अतिरिक्त 2 दिनों की दैनिकी भत्ते के भुगतान के आदेश आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा नहीं दिए गए हैं इसके अतिरिक्त किराये के रूप मे भुगतान की गई राशि 26000/–रुपये (21000 +5000) जिसकी संस्तुति आदेषिक गृह रक्षा वाहिनी धर्मषाला के अनुरोध पत्र में भी सम्मलित नहीं है व न ही आयुक्त मन्दिर द्वारा ऐसा करने के कभी आदेश दिए हैं, स्वेच्छा से ही कर दिया गया है। अतः अनियमित एवं गलत तरीके से स्वेच्छा से भुगतान की गई राशि 39000/–रुपये (26000 + 13000) का उतरदायित्व निर्धारित किया जाए व अधिक एवं गलत भुगतान की राशि मु0 39000/–रुपये की वसूली गलत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी अथवा वास्तविक प्राप्तकर्त्ता से की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की दिनांक 116.2008 को हुई बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 10(भद्दन पर्ची का रेट बढ़ाने बारे) के अर्न्तगत भद्दन पर्ची की दर 5 रुपये से बढ़ा कर 10 रुपये कर दी है व उक्त बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट कृते आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा से होने के उपरान्त यह कार्यवाही मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में डायरी/पावती नं0 351 दिनांक 31.7.08 को प्राप्त हो गई है। उक्त कार्यवाही के अनुरूप भद्दन पर्ची की दर 5 3पये की जगह 10 रुपये दिनांक 1.08.08 से प्रभावी है लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा भद्दन/मुण्डन करवाने हेतु नियत वेतन पर रखे कर्मचारी द्वारा 1.08.08 से 30.5.09 तक काटी गई 42 रसीद बुकों के (42 x 100) 5 रुपये की दर से 21000 रुपये ही जमा करवाया गया है जबकि वास्तव मे 42 रसीद बुकों के 10 रुपये की दर से 42000 (42 x 100 x 10) रुपये की आय प्राप्त होना आपेक्षित थी कयोंकि भद्दन/मुण्डन की दर 5 रुपये से बढ़ा कर 10 रुपये दिनांक 1.08.08 से प्रभावी है। उक्त रसीदों की जांच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 65901 से 66000 दिनांक 7.8.08 व 66201 से 66300 दिनांक 19.8.08 की रसीदों को गोंद से चिपकाया है व उक्त रसीदों मे मुण्डन संस्कार करवाने वालों का नाम व पता न लिखकर राम, श्याम व सोहन, मोहन इत्यादि लिखे हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त कर्मचारी द्वारा रसीदों को बाद मे काटा जाता है व मुण्डन/भद्दन संस्कार करवाने वाले श्रद्धालुओं से स्वेच्छा से मनचाही राशि सैंकड़ों की दर से वसूली जाती है इस विषय को गत

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 13 भाग–एक (आय) उप पैरा–1 में भी उठाया गया है लेकिन मन्दिर न्यास प्रषासन की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में लाता है अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि गत अंकेक्षण में उक्त शीर्ष के अर्न्तगत आय को बढ़ाने हेतु दिए गए सुझाव पर तुरन्त अमल किया जाये। इसके अतिरिक्त अवधि 1.08.08 से 31.5.2009 तक की उक्त कम जमा की गई आय 21000/–रुपये की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से अविलम्ब करनी सुनिष्चित की जाये व अनुपालना से यथासम्भव इस विभाग को अवगत करें।

13 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि कार्यालय पत्र संख्या 1314 दिनांक 14.12.07 के अर्न्तगत श्री अवतार सिंह संविदाकार, गांव भदसाली, तहसील व जिला ऊना को 900 क्विंटल सूखा बालन मन्दिर न्यास को अपूर्ति करने हेतु अपूर्ति आदेश दिया गया कयोंकि उक्त संविदाकार की दरें यद्यापि न्यूनतम थी लेकिन उक्त संविदाकार द्वारा दिनांक 13.1.08 तक केवल 55 क्विंटल ही सूखा बालन सप्लाई किया गया व शेष बालन की मात्रा निर्धारित दरों पर उक्त संविदाकार आपूर्ति करने मे असमर्थ रहा। अनुबन्ध के अनुसार उक्त संविदाकार की प्रतिभूति राशि 8000/–रुपये जब्त की जानी अनिवार्य थी लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा माह 7/08 में उक्त संविदाकार की प्रतिभूति राशि वापिस कर दी गई जो कि अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत है अतः गलत तरीके से वापिस की गई प्रतिभूति की राशि 8000/–रुपये की वसूली गलत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी अथवा वास्तविक प्राप्तकर्त्ता से की जानी सुनिष्चित की जाये व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

14 lokfuofr xzP;qVh d :i e Jh Kku pUn lQkbZ deZpkjh dk 2898@&#i;s dk xyr ,o vf/kd Hkqxrku %&

जांच के दौरान पाया गया कि ज्ञान चन्द सफाई कर्मचारी को सेवानिवृति ग्रेच्युटी के रूप में 2898/–रुपये का गलत एवं अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखत प्रकार से है।

1	नियुक्ति की तिथि	1.11.1988
2	सेवानिवृति की तिथि	30.06.2008
3	कुल सेवा काल	19 वर्ष 8 माह
4	सम्पूर्ण सेवा काल	19 वर्ष
5	परिलाभ	5796 रुपये
6	देय सेवानिवृति ग्रेच्यिुटी राशि	5796/2 x19 =55062 रु0
7	दी गई सेवानिवृति ग्रेच्युटी राशि	5796/2 x20 =57960 रु0
8	अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि	2898.00 रुपये

मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवानियम 2000 के पैरा–5 क्रम संख्या–2 के अनुसार ''प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष हेतु 15 दिन का वेतन बिना अन्य भत्तों के अधिकतम 16.5 माह'' का ही वेतन नियमानुसार देय है। क्योकि उक्त कर्मचारी का पूर्ण सेवा काल केवल 19 वर्ष है अतः उसे 20 वर्ष हेतु भुगतान किया जाना उपरोक्त उल्लेखित नियम के विपरीत है अतः सम्पूर्ण राशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी अथवा अधिक एवं गलत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाये।

15¼i½ **lokfuofr xP;Vh d :i e Jh efr fceyk noh lQkbl depkjh dk 2898@&#0 dk xyr ,o vf/kd Hkxrku ¼&**

जांच के दौरान पाया गया कि श्री मति बिमला देवी सफाई कर्मचारी को सेवानिवृति ग्रेच्युटी के रूप में 2898/–रु0 का गलत एवं अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

1	नियुक्ति की तिथि	1.11.1988
2	सेवानिवृति की तिथि	31.07.2008
3	कुल सेवा काल	19 वर्ष 9 माह
4	सम्पूर्ण सेवा काल	19 वर्ष
5	परिलाभ	5796 रुपये
6	देय सेवानिवृति ग्रेच्यिुटी राशि	5796/2 x19 =55062 रु0
7	दी गई सेवानिवृति ग्रेच्युटी राशि	5796/2 x20 =57960 रु0
8	अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि	2898.00 रुपये

मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवानियम 2000 के पैरा–5 क्रम संख्या–2 के अनुसार ''प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष हेतु 15 दिन का वेतन बिना अन्य भत्तों के अधिकतम 16.5 माह'' का ही वेतन नियमानुसार देय है क्योंकि उक्त कर्मचारी का पूर्ण वर्ष सेवा काल केवल 19 वर्ष है अतः उसे 20 वर्ष हेतु भुगतान किया जाना उपरोक्त उल्लेखित नियम के विपरीत है अतः सम्पूर्ण राशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी अथवा अधिक एवं गलत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाये।

¼ii½ उक्त कर्मचारी श्री मति बिमला देवी को अर्जित अवकाश भुनाने की एवज़ में 10 दिनों हेतु 1932/–रु0 का भुगतान किया जाना है जबकि उसके अर्जित अवकाश के खाते की जांच करने पर पाया गया कि उसके खाते में 4.5 दिन का ही अवकाश शेष था जिस हेतु उसे नियमानुसार 869/–रु0 का ही भुगतान देय था अतः अधिक भुगतान की राशि

1063/–रु0 (1932–869) की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाये।

16 श्री सुभाष चन्द सफाई सेवक की सेवापंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी दिनांक 19.9.06 से 18.2.09 तक बिना अवकाश स्वीकृत करवाये 883 दिन अवकाश पर रहा व दिनांक 19.2.09 को उक्त कर्मचारी द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया। उक्त कर्मचारी के खाते में दिनांक 1.07.06 को 65 दिन का अर्ध वैतनिक अवकाश व 98 दिन का अर्जित अवकाश शेष था। उक्त कर्मचारी की सेवापंजिका के अवकाश खाते में दिनांक 19.10.06 से 24.01.07 तक 98 दिन का अर्जित अवकाश व 19.9.06 से 18.10.06 तक 32x2=64 दिन का चिकित्सा अवकाश व 754 दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने की प्रविष्टि दर्ज है लेकिन उक्त उल्लेखित 754 दिन का असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया है अथवा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के स्वीकृत किया है, की प्रविष्टि सेवापंजिका में दर्ज नहीं है इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी को माह 9/06 में 18000/–रु0 अग्रिम राशि प्रदान की गई है जिसकी वसूली भी उक्त कर्मचारी से नहीं की गई है। अतः सेवांपजिका मे नियमानुसार अपेक्षित प्रविष्टियां की जानी सुनिष्चित की जाएं व माह 9/06 में दी गई अग्रिम राशि 18000/–रु0 की वसूली एकमुष्त किस्त में की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा सम्पूर्ण अग्रिम राशि की वसूली ब्याज सहित प्रतिमाह निर्धारित करके आरम्भ की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

17 वाऊचर संख्या 375 दिनांक 1.10.08 के अन्तर्गत व माप पुस्तिका संख्या 37 पेज नं0 23 पर श्री विमल चौधरी संविदाकार को किए गए भुगतान में गणना की त्रुटि के कारण 321. 75 रुपये का अधिक भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Ø0 l0	en dk uke	ek=k	nj	eY;
1	पत्थरों की ढुलाई	39.03 घनमी0	275 रु0 प्रति धनमी0	
	(–)15 % voids	5.85 घनमी0		
	वास्तविक देय राशि	33.18 घनमी0	275 रु0 प्रति धनमी0	9124.50
	दी गई राशि	34.35 घनमी0	275 रु0 प्रति धनमी0	9446.25
	अधिक भुगतान	1.17 घनमी0	275 रु0 प्रति धनमी0	321.75

उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

18 अंकेक्षण हेतु चयनित माह 4/08 के दौरान आय की जांच करने पर पाया गया कि यात्री निवास से माह 4/08 में प्राप्त कुल आय राशि मु0 23250/—रुपये जो कि दैनिक रोकड़ वही (डे बुक) में रसीद संख्या 9224 से 9258 के अर्न्तगत प्राप्त की गई दर्षाई है, उक्त रसीदें अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। फलस्वरूप उक्त रसीदों के अर्न्तगत प्राप्त दर्षाई गई राशि की वास्तविकता की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः उक्त रसीद बुक को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए ताकि प्राप्त दर्षाई गई आय की वास्तविकता की जांच पड़ताल सम्भव हो सके।

19 दवाईयों के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि वास्तविक शेष से कम दर्षाकर कुछ दवाईयों का सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुरूपयोग कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :—

Ø 0 l 0	LVkd jftLVj u0 i:t u0	fnukd	nokbZ dk uke	okLrfod 'ks"k dh ek=k	LVkd jftLVj esa n'kkZ, 'ks"k dh ek=k	de n'kkbZ xbZ ek=k
1	2/115	30.9.08	टी0 होमोगेहिटिक टी0 ऑल पेन टी0 दर्दहर	860 टेबलट	760 टेबलट	100 टेबलट

उक्त कम दर्षाई गई 100 टेबलट का वास्तविक मुल्य निर्धारित कर वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 लंगर स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर से भिन्न—भिन्न सामान कितनी मात्रा में जारी किया गया दर्षाया है उतनी मात्रा में दैनिक खपत रजिस्टर के अनुसार सामान की खपत नहीं हुई है अर्थात सामान की खपत कम हुई है लेकिन शेष बचे सामान का पुनः स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न लेकर इसका दुरूपयोग कर लिया गया है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व दुरूपयोग किए गए सामान के मुल्य का वास्तविक निर्धारण करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। दुरूपयोग किए गए सामान का विवरण निम्न प्रकार से है :—

Ø 0 l 0	lkeku dk uke	fnukd@ LVkd jftLVj u0	LVkd jftLVj i:t u0	LVkd jftLVj esa tkjh ek=k	nSfud [kir jftLVj i:t u0	nSfud [kir jftLVj esa [kir dh xbZ ek=k	vUrj

1	देसी घी	1.10.08 50 / 2	61	6 कि0ग्रा0	70	3 कि0ग्रा0	3 कि0ग्रा0
2	देसी घी	6.10.08 50 / 2	61	1 कि0ग्रा0	75	—	1 कि0ग्रा0
3	व्हील	30.10.08 50 / 3	59	8 कि0ग्रा0	99	1 कि0ग्रा0	7 कि0ग्रा0
4	धुली मुंगी	19.10.08 50 / 1	111	4 कि0ग्रा0	88	—	4 कि0ग्रा0
5	धुली मुंगी	26.10.08 50 / 1	111	5 कि0ग्रा0	95	—	5 कि0ग्रा0
6	सावत मुंगी	30.10.08 50 / 1	81	8 कि0 500 ग्रा0	100	—	8 कि0 500 ग्रा0

21 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री पवन कुमार वरिष्ठ लिपिक को 35000 रुपये की अग्रिम राशि 9/08 में दी गई है व सम्बन्धित कर्मचारी से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से तीन माह की अग्रिम राशि की वसूली कर ली गई है वह शेष राशि की वसूली शेष है। कयोंकि उक्त कर्मचारी का स्थानंतरण ब्रजेष्वरी मन्दिर कांगडा को माह 1/09 में हो गया है। लेकिन अग्रिम राशि की वसूली नही की जा रही है। अतः शेष बची अग्रिम राशि की वसूली अविलम्ब करने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल मे लाई जाये।

22 सेवा पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं में पदनाम पुजारी सहायक दर्षाया गया है जबकि नियमानुसार मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी केवल पुजारी व सहायक पुजारी के ही पद स्वीकृत है व पुजारी सहायक का कोई भी पद सृजित एवं स्वीकृत नहीं है। अतः बिना किसी सृजित एवं स्वीकृत पदों के उक्त कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं में पदनाम पुजारी सहायक दर्षाना अनुचित है। यहां यह भी उल्लेखित करना उचित रहेगा कि पुजारी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शास्त्री व सहायक पुजारी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है व उक्त कर्मचारी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करते हैं व कांगड़ा जिला मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2000 के अनुसार योग्यता को मध्यनजर रखते हुए सेवादार के पद के ही पात्र है। अतः मन्दिर न्यास एवं प्रषासन के उच्च्य अधिकारीगण से अनुरोध है कि उक्त कर्मचारियों की सेवापंजिका में उनका पदनाम सेवादार लिखा जाये व तदानुसार ही उनकी डियूटी निर्धारित की जाये। कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

Øe la[;k	deZpkjh dk uke	'kS{kf.kd ;kX;rk
1	श्री करूणेश माधव	8^{Th}
2	श्री शैलेन्द्र कुमार	5^{Th}
3	श्री सुरेश कुमार	8^{Th}
4	श्री हेमन्त कुमार	7^{Th}

23 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि संस्कृत विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियेां को प्रत्येक वर्ष 15 दिन का अर्जित अवकाश दिया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवानियम (संषोधित) 2000 के पार्ट–5, 4(1) के अनुसार जो कर्मचारी शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश व्यतीत करते हैं उन्हें अर्जित अवकाश देय नहीं है। बावजूद इसके संस्कृत विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को गत वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष 15 दिन के अर्जित अवकाश का क्रैडिट उनकी सेवापंजिकाओं के अवकाश खाते में दिया जा रहा है जो कि नियमों के विपरीत अनुचित लाभ है क्योंकि संस्कृत विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म कालीन अवकाश व्यतीत कर रहे। अतः अनुरोध किया जाता है कि संस्कृत विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों जिनका विवरण निम्नलिखित है कि अवकाश खाते में दर्षाया गया शेष अर्जित अवकाश निरस्त किया जाए व तदोउपरान्त सेवापंजिकाओं में संषोधन कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में अर्जित अवकाश का क्रैडिट अवकाश खाते में न करना सुनिष्चित किया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमों में उचित प्रावधान डाला जाए।

Øe la[;k	deZpkjh dk uke ,oa inuke	n'kkZ;k x;k vftZr vodk'k
1	श्री प्रबल कुमार, अध्यापक	150 दिन
2	श्री मोहिन्द्र कुमार, अध्यापक	51 दिन
3	श्रीमति वीना देवी, अध्यापक	51 दिन

24 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार विधि विभाग, की अधिसूचना संख्या एल0एल0आर0डी(6) 3/2007–लेज–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.05.07 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास (संषोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 4) जो कि हिमाचल प्रदेश राजपत्र में 5 जून 2007 को प्रकाषित हुआ है कि धारा 3 के संषोधन के अनुसार ''राज्य सरकार का प्रधान

सचिव या सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) मुख्य आयुक्त मन्दिर होगा व मन्दिर न्यासों के कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम एंव सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं। उक्त अधिसूचना के अस्तित्व एवं प्रकाषन उपरान्त आयुक्त मन्दिर, मन्दिर न्यास कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की भर्ती पदों का सृजन पदों का अपग्रेडेषन, पदोन्नति, पदों की क्रमोन्नति व अतिरिक्त परिश्रमिक स्वीकृत करने हेतु सक्षम नही व मुख्य आयुक्त मन्दिर ही सक्षम अधिकारी है। बावजूद इसके आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करना, पदों का सृजन/क्रमोन्नति करना, अतिरिक्त परिश्रमिक स्वीकृत करना उपरोक्त उल्लेखित संषोधन की अवमानना है एवं पूर्ण रूप से नियमों के विपरीत है। उक्त अधिनियम के विपरीत दी गई कर्मचारियों को पदोन्नति, पदों की क्रमोन्नति एवं प्रदान किए गए अतिरिक्त परिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

¼1½ श्री राजन वासुदेवा, कनिष्ठ अभियन्ता की मन्दिर आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या ए0डी0एम–1/2007–मन्दिर 1135 से 1143 दिनांक 29.12.07 के अर्न्तगत सहायक अभियन्ता के पद हेतु सेवानियम बनाना एवं सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति।

¼2½ श्री विनोद कुमार शुक्ला, फार्मसिस्ट की मन्दिर आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या 62 से 69 दिनांक 3.01.2008 के अर्न्तगत डाक्टर(होम्योपैथी) के पद का सृजन, फार्मसिस्ट के पद की क्रमोन्नति कर डाक्टर के पद का सृजन, डाक्टर के पद हेतु सेवानियम बनाना एवं डाक्टर के पद पर पदोन्नति।

¼3½ श्री सुरेश कुमार, ड्राफ्टसमैन की मन्दिर आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या 81 से 84 दिनांक 3.01.2008 के अर्न्तगत ड्राफ्टसमैन से कनिष्ठ अभियन्ता की पदोन्नति एवं सेवानियम।

¼4½ श्री रमेश चन्द, मिस्त्री को 800 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त परिश्रमिक की स्वीकृति (मन्दिर आयुक्त कार्यलय पत्र संख्या ए0डी0एम–1/2007 मन्दिर 60 से 61 दिनांक 3.01. 2008)।

¼5½ मन्दिर अधिकारी को 1500 रुपये मासिक अतिरिक्त परिश्रमिक प्रदान करने की स्वीकृति (मन्दिर आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या ए0डी0एम–1/2007 मन्दिर –1081 से 1082 दिनांक 21.11.2007) ।

¼6½ सहायक मन्दिर अधिकारी को 1000 रुपये मासिक अतिरिक्त परिश्रमिक प्रदान करने की स्वीकृति (मन्दिर आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या ए0डी0एम–1/2007 मन्दिर–1 से 2 दिनांक 1.1.2008) ।

(7) मन्दिर आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या ए0डी0एम–1/2007 मन्दिर–51 से 59 दिनांक 3.1.2008 के अर्न्तगत दिनांक 1.1.2003 से रोकड़िया को 250 रु प्रतिमाह रोकड़ भत्ते की स्वीकृति ।

अतः उपरोक्त उल्लेखित सभी प्रकरणों में मुख्य आयुक्त मन्दिर से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण किया जाए अन्यथा उपरोक्त उल्लेखित पदोन्नतियां, पदों का सृजन एवं क्रमोन्नति तथा अतिरिक्त परिश्रमिक प्रदान की स्वीकृति अनियमित एवं नियमों के विपरीत है।

25 (1) अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सम्पतियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 2.8.08 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ''मन्दिरों की सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन आयुक्त मन्दिर द्वारा किया जाना अनिवार्य है।'' अतः वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन आयुक्त मन्दिर से करवाया जाना सुनिष्चित किया जाये व तत्सम्बन्धी निरीक्षण रिपोर्ट से आगामी अंकेक्षण में अवगत करे।

(2) इसके अतिरिक्त उपरोक्त पैरे में उल्लेखित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2008 के बजट का अनुमोदन सचिव भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है जबकि 2008 के बजट का अनुमोदन आयुक्त मन्दिर द्वारा किया गया है व प्रतियां भाषा एवं संस्कृति विभाग व मुख्य आयुक्त कार्यालय को नहीं भेजी है जिसका कारण स्पष्ट किया जाये व भविष्य में बैठक मे लिए गए प्रत्येक निर्णय की अनुपालना सुनिष्चित की जाये।

26 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में विभिन्न कर्मचारियेां के स्वीकृत पदों से अधिक पद भरे गए हैं। जोकि नियमों के विपरीत है व मन्दिर न्यास पर कई लाखों रुपये का अनावष्यक वित्तीय बोझ वेतन एंव भत्तों के रूप मे उक्त कर्मचारियों को देने के कारण पड़ रहा है। नियमों के विपरीत स्वीकृत पदों से अधिक भरे गए पदों का विवरण निम्नलिखित है.।

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	अधिशेष स्टाफ
1	वरिष्ठ सहायक	2	3 + 1 = 4	2
2	अध्यापक	3	4	1
3	माली, चौकीदार, सेवादार, जमादार, सफाई सेवक, सहायक पलम्बर इत्यादि	33	49	16

ukV %& क्रम संख्या 1 में दर्षाए गए भरे गए पदों में 3 मन्दिर न्यास के वरिष्ठ सहायक व एक भाषा एवं संस्कृति विभाग का वरिष्ठ सहायक जो प्रतिनियुक्ति पर है सम्मिलित है।

अतः स्वीकृत पदों से अधिक भरे गए पदों पर तैनात कर्मचारियों को अन्य मन्दिरों में स्थानांतरित किया जाये व खाली पडे पदों को भरने हेतु अन्य मन्दिरों के अधिषेष स्टॉफ से ज्वालामुखी स्थानांतरित करवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण मे अवगत करवाया जाये।

27 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री अवतार सिंह, सहायक विद्युतकार को प्रतिदिन 1 घण्टा फुब्वारा संचालन करने हेतु 1000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त परिश्रमिक दिया जाता है। सम्बन्धित फुब्बारा रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2008 में 72 दिन फुब्बारा तकनीकी खराबी एंव अन्य कारणों के कारण बन्द रहा है लेकिन उसे हर माह 1000 रुपये अतिरिक्त परिश्रमिक दिया जाता रहा है जोकि अनियमित है क्योंकि पूरे माह फुब्बारा संचालन होने की स्थिति में उसे अतिरिक्त परिश्रमिक देय है। अतः 72 दिन फुब्बारा बन्द रहने के बावजूद दिया गया अतिरिक्त परिश्रमिक राशि मु0 2322 रुपये (1000/31 x 72) की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

28 अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 358 दिनांक 20.9.08 के अर्न्तगत 4480 रुपये का भुगतान 4 कर्मचारियों (1120 x 4) माह 1/08 से 8/08 तक 140 रुपये प्रतिमाह की दर से 8 माह के वर्दी भत्ता बकाया दावे (140 x 8 x 4) के रूप में किया है जो कि नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि इन कर्मचारियों ने माह 1/08 से 8/08 तक न तो वर्दी सिलाई है और न ही पहनी है। इन कर्मचारियों ने 9/08 में ही वर्दी सिलाई व पहनी है व 9/08 माह से उन्हें लगातार 140 रुपये प्रतिमाह वर्दी भत्ते का भुगतान भी किया जा रहा है। अतः बकाया दावे के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों से की जानी सुनिष्चित की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

Øe la[;k	deZpkjh dk uke ,oa inuke	olwyh ;kX; jkf'k
1	श्री मनोहर लाल, माली	1120.00
2	श्री अवतार सिंह सहायक विद्युतकार	1120.00
3	श्री राजिन्द्र सिंह सहायक विद्युतकार	1120.00

4	श्री राज कुमार सहायक पलम्बर	1120.00
	d|y ;kx	4480-00

29 y?k| vkifr foojf.kdk |& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

30 fu"d"k |& लेखों के रखरखाव में सुधार की आवष्यकता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर तुरन्त कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)188/96–खण्ड–6, दिनांक,षिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, जिला कांगडा हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें
2. उपायुक्त एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेष।
3. सचिव (भाषा विभाग) हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला–2
4. निदेषक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.